



# दिल्ली विकास प्राधिकरण



वाणिज्यिक भूमि शाखा

कृपया ध्यान दें:

## वाणिज्यिक भूमि/भूखंडों के पट्टाधारक/लाइसेंसधारक/आबंटीगण

- डीडीए द्वारा निष्पादित लीज/लाइसेंस, पट्टेदार/लाइसेंसधारक को छमाही/तिमाही आधार पर, जैसा भी मामला हो, भूमि किराये का भुगतान करने के लिए जवाबदेह बनाता है।
- भूमि किराया और अन्य शुल्कों के भुगतान के लिए डीडीए द्वारा किसी पट्टेदार/लाइसेंसधारक को कोई मांग जारी करना आवश्यक नहीं है।
- निर्धारित अवधि के भीतर भूमि किराए/किराये का भुगतान न करने पर पट्टे/लाइसेंस को समाप्त/रद्द किया जा सकता है।
- पट्टेदार/लाइसेंसधारक अपने भूखंडों/भूमि के संबंध में भूमि किराया और अन्य शुल्क नियमित रूप से जमा और उसे अद्यतन कराना सुनिश्चित करें।
- कृपया डीडीए द्वारा किसी भी ठोस कार्रवाई से बचने के लिए उपरोक्त शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करें।

निदेशक (सीएल)

Please give your feedback on DDA Apps at



Please Visit DDA's website: [www.dda.org.in](http://www.dda.org.in) or Dial Toll free No. 1800110332